

प्रेस नोट:-

बिजनौर पुलिस दिनांक 27-12-2020

आज दिनांक 27.12.2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना मण्डावली क्षेत्रान्तर्गत नव निर्मित श्रीकृष्णायन चौकी का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति की उपस्थिति रही। नवीन चौकी की स्थापना से क्षेत्र की जनता में सुरक्षा व पुलिस सहायता का भाव जागृत होगा। चौकी की स्थापना से अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ होगी।







थाना अफजलगढ:- थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त ओमपाल उर्फ सोनू पुत्र दयाराम निवासी नई बस्ती अफजलगढ को अवैध तमंचे सहित गिरफ्तार किया । जिसके संबध में थाने पर मु0अ0सं0 375/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना अफजलगढ:- थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त तसलीम पुत्र शरीफ निवासी नायक सराय थाना अफजलगढ को 530 नशे की गोली सहित गिरफ्तार किया । जिसके संबध में थाने पर मु0अ0सं0 376/20 धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया ।




थाना स्योहारा:- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त मुस्लिम पुत्र कल्लू निवासी मोहल्ला बली नगर हरथला सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद व अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र महेंद्र सिंह निवासी मिर्जा अलीपुर थाना स्योहारा को गिरफ्तार को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना कोतवाली देहात:- थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 325/20 धारा 147/148/149/323/324/307/506 आईपीसी में नामित / वांछित अभियुक्त अब्दुल्ला पुत्र इसराइल निवासी ग्राम दौलताबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना कोतवाली शहर:- थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त फुरकान पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद उमर निवासी मिर्दगान 11 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर संबधित मुकदमा अपराध संख्या 739 / 20 धारा 467/468/471/ 406/020 आईपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना कोतवाली शहर:- थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त नसीम पुत्र अब्दुल निवासी ग्राम कल्याणपुर थाना रतनपुर जनपद मुजफ्फरनगर संबधित मुकदमा अपराध संख्या 739/20 धारा 494 / 504 आईपीसी व 3/4 मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना नगीना:- आज दिनांक 27.12.2020 को उप निरीक्षक करमजीत सिंह व कांस्टेबल 355 धर्मेन्द्र कुमार व कांस्टेबल 389 कृष्णपाल के द्वारा वांछित अभियुक्त गण 1.शिवा जोशी उम्र 21 वर्ष व 2.सन्नी जोशी 18 वर्ष पुत्रगण गजेंद्र जोशी उर्फ गजे जोशी निवासी मोहल्ला जोशी यान पुराना बस स्टैंड कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर हाल निवासी मोहल्ला विश्वोई सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर संबंधित अपराध संख्या 582/2020 धारा 363/ 366/376/120 बी भादवि व धारा 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट धारा 3/4 व 16/17 पोक्सो एक्ट को समय 9:40 बजे डबल फाटक से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए



थाना स्योहारा:- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 653/20 धारा 60 एक्साइज एक्ट से संबंधित अभियुक्त सुधीर जोशी पुत्र दयाचंद जोशी निवासी ग्राम मुकर पुरी थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर को 10 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया।





आज दिनांक **27.12.2020** को थाना कोतवाली शहर की एंटी रोमियो टीम द्वारा द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये “मिशन शक्ति” के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में थाना क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानों पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों बाजारों में मंचलो पर शिकंजा कसा ।



आज दिनांक **27.12.2020** को थाना नहतौर की एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये “मिशन शक्ति” के रूप में विशेष अभियान के संबध में थाना क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीड़भाड़ वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा ।



आज दिनांक **27.12.2020** को थाना चाँदपुर की एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये “मिशन शक्ति” के रूप में विशेष अभियान के संबध में थाना क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीड़भाड़ वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा ।

